दावा अन्तर्गत धारा 88,53 आर.टी.ए. बाबत घोषणा एवं खाता विभाजन डिक्री

निर्णय दिनांक :— 17/03/26

वादीगण की ओर से श्री जसपाल सिंह दहिया अधिवक्ता, प्रतिवादी सं. 1 ता 4 की ओर से श्री चैन सिंह शेखावत अधिवक्ता, राज पैरोकार इस वाद मे आज दिनांक को उमा मित्तल आर ए एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि वादीगण एवम् प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत किये गये राजीनामा के अनुसार वाद पत्र को स्वीकार किया जाकर उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा धारा 88 एवं 53 के अन्तर्गत वाद मे निम्नअनुसार खाता विभाजन कर घोषणा की जाती है—

(क) तहसील पीलीबंगा के चक 23 एम ओ डी (द्वितीय) की प.न. 6/266 मु.न. 37 कि.न. 2/0.215, (0.019 रास्ता), (0.019खाला), 4/0.234,(0.019खाला), 5/0.234,(0.019खाला), 6, 7, 9/0.234, (0.019रास्ता) 12/0.234, (0.019रास्ता). 14 ता 17,19/0.234 (0.019 रास्ता). 22/0.215. (0.038 रास्ता) 23/0. 007, 24/0.234, (0.019 रास्ता), 25/0.234 (0.019 रास्ता) की कुल 3.802 हैक, नहरी मय गे. मु. खाला रास्ता कृषि भूमि में से वादी न. 1 के नाम 2.284 है. व वादी न. 2 के नाम 1.518 है. नहरी मय गं. मु. खाला, रास्ता का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है रकम राज कायम की जावे। इस रकबा के प.न. 6/266 के किन. 2,4,5 में प्रत्येक बीघा में 0.019 है. खाला इन बीधों की उत्तर दिशा की रींव पर तीन बीघा पूर्व—पश्चिम लम्बा खाला व उत्तर—दक्षिण 1½ बिस्वा चौड़ा खाला व इसी पत्थर 6/266 का कि.न. 2,9,12,19,22 प्रत्येक बीघा में 0.019 है. रास्ता जो इन बीघों की पश्चिम दिशा की रींव पर उत्तर—दक्षिण 5 बीघा लम्बा व पूर्व—पश्चिम 1½बिस्वा चौड़ा व इसी पत्थर 6/266

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

कि.न. 22 ता 25 प्रत्येक बीघा में 0.019 है. रास्ता जो इन बीघों की दक्षिण दिशा की सींव पर उत्तर--दक्षिण 1½: बिस्वा चौड़ा व पूर्व पश्चिम 4 बीघा लम्बा रास्ता दर्ज करने के आदेश पारित किये जाते है।

(ख) तहसील पीलीबंगा के चक 23 एम ओ डी (द्वितीय) की मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 से (जमाबन्दी वर्ष 2021 से स्थाई) चालु का प.न. 6/265 मु.न. 26 कि.न. 2, 3, 8, 9/0.190,13, 17/0.0630, 18, 23, 24 की कुल 2.024 हैक. नहरी कृषि भूमि में से प्रतिवादी न. 1 का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी न. 2 का 1/2 हिस्सा को राजस्व रिकॉर्ड में खाता विभाजन कर रकम राज कायम किये जाने की घोषणा की जाती है। रकम राज अलग कायम की जाती है।

(ग). तहसील पीलीबंगा के चक 23 एम ओ डी (द्वितीय) की मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 से (जमाबन्दी वर्ष 2021 से स्थाई) चालु का प.न. 6/265 मु.न. 26 कि.न. 1, 10/0.190, की कुल 0.443 हैक नहरी कृषि भूमि प्रतिवादीया न. 3 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में खाता विभाजन दर्ज कर रकम राज कायम किये जाने की घोषणा की जाती है।

(घ). तहसील पीलीबंगा के चक 23 एम ओ डी (द्वितीय) की मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 से (जमाबन्दी वर्ष 2021 से स्थाई) चालु का प.न. 6/265 मु.न. 26 कि.न. 9/0.063,12, 19, 22/0.234 (0.019रास्ता), व प.न. 6/266 मु.न. 37 कि.न. 3/0.234 (0.019खाला), 8, 13, 18,23/0.227 (0.019 रास्ता) की कुल 2.080 हैक. नहरी मय गै. मु. खाला, रास्ता कृषि भूमि प्रतिवादी न. 4 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में रकम राज कायम किये जाने की घोषणा की जाती है पत्थर 6/265 का कि.न. 22 में 0.019 है. रास्ता जो इस बीघा की दक्षिण दिशा की सींव पर उत्तर–दक्षिण 1½ बिस्वा चौड़ा व पूर्व पश्चिम 1 बीघा लम्बा रास्ता व प.न. 6/266 कि.न. 3 की उत्तर दिशा की सींव पर 0.019 है. खाला जो इस बीघा में उत्तर–दक्षिण 1½ बिस्वा चौड़ा व पूर्व – पश्चिम 1 बीघा लम्बा खाला का अंकन राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाते है।

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होनें तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होनें, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होनें की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होनें तथा किसी प्रकार के राजस्व हानि न होनें की दशा मे स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन/गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिमसें किसी प्रकार का कोई बदलाव नही किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 17/3/26 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(उमा मित्तल आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा